सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त विकलांगजन

COURT OF CHIEF COMMISSIONER FOR PERSONS WITH DISABILITIES

विकलांगजन सशक्तिकरण विभाग / Department of Empowerment of Persons with Disabilities
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय / Ministry of Social Justice and Empowerment
भारत सरकार / Government of India

केस सं. 5350/1023/2015 दिनांकः 11 .08.2017

के मामले में :–

श्री अमित कुमार सिंह,
परास्नातक शिक्षक(हिन्दी),
केन्द्रीय विद्यालय बरपेटा,
असम – 781 301 –वादी

बनाम

केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
(द्वारा : आयुक्त)
18, संस्थागत क्षेत्र,
शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली–110 016 –प्रतिवादी

सुनवाई की तिथिः 05.04.2017
उपस्थित : वादी } अनुपस्थित

श्री एस.एस. चौहान, सहायक आयुक्त(स्था.)
श्री भूरी सिंह, सहायक अनुभाग अधिकारी(स्था.) } प्रतिवादी की तरफ से

आदेश

श्री अमित कुमार सिंह, 45 प्रतिशत अस्थि दिव्यांग परास्नातक शिक्षक(हिन्दी) ने उनके उत्पीड़न से संबंधित शिकायत दिनांक 06.10.2015 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत इस न्यायालय में दायर की ।

2. अधिनियम की धारा 59 के अन्तर्गत मामलें को इस न्यायालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 28.10.2015 द्वारा प्रतिवादी के साथ उठाया गया ।

3. सहायक आयुक्त(शैक्षिक एवं स्था.– I), केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय), नई दिल्ली ने अपने पत्र सं. एफ.11098/4(167)/2013–केवीएस(स्था– I) दिनांक 11.12.2015 द्वारा अवगत किया कि श्री अमित कुमार सिंह केन्द्रीय विद्यालय बारपेटा का दिनांक 06.10.2015 का शिकायती पत्र पहले से कार्यालय में प्राप्त हो गया था जिसे उपायुक्त, गुवाहटी संभाग को कार्यालय के पत्र दिनांक 10.11.2015 द्वारा इस आशय के साथ भेजा गया है कि वह मामले की सम्पूर्ण जांच कर जांच रिपोर्ट अपनी टिप्पणी सहित कार्यालय को भिजवा दें जोकि अभी लंबित है। उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर कार्यालय द्वारा तदनुसार कार्यवाही करते हुए आपको सूचित किया जाएगा ।

पृष्ठ 2

सरोजिनी हाउस, 6, भगवान दास रोड, नई दिल्ली–110001; दूरभाषः 23386054, 23386154; टेलीफैक्स : 23386006
Sarojini House, 6, Bhagwan Dass Road, New Delhi-110001 ; Tel.: 23386054, 23386154 ; Telefax : 23386006
E-mail: ccpd@nic.in ; Website: www.ccdisabilities.nic.in
(कृपया भविष्य में पत्राचार के लिए उपरोक्त फाईल/केस संख्या अवश्य लिखें)
(Please quote the above file/case number in future correspondence)

4. अपर आयुक्त(प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय), नई दिल्ली ने अपने पत्र सं. एफ. 11098/4(167)/2013–केवीएस(स्था–I) दिनांक 25.01.2016 द्वारा सूचित किया है कि प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय बारपेटा के खिलाफ पत्र में उठाए गए बिन्दुओं की जांच उपायुक्त गुवाहटी संभाग द्वारा करवाई गई। लगाए गए आरोपों की जांच में पुष्टि नहीं हुई है। उक्त पत्र की प्रति इस न्यायालय के पत्र दिनांक 03.30.2016 द्वारा वादी को उनके टिप्पण हेतु भेजी गई ।

5. अवर सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से उनके पत्र सं. 34–03/2015–डी.डी.।।। दिनांक 24.02.2016 द्वारा भी शिकायतकर्ता की उपरोक्त शिकायत इस न्यायालय में प्राप्त हुई ।

6. बादी ने अपने पत्रों क्रमशः दिनांक 02.05.2016 एवं 12.01.2017 प्रतिवादी द्वारा दिए गए जवाब के विरूद्ध असंतुष्टि के साथ इस न्यायालय को प्रेषित किए ।

7. दोनों पक्षों के दस्तावेजों के जांचोपरान्त इस न्यायालय के नोटिस दिनांक 17.03.2017 द्वारा दिनांक 05.04.2017 को 12.00 बजे मामले में सुनवाई निर्धारित की गई ।

8. मामले को नियत तिथि को सुना गया ।

9. सुनवाई के दौरान प्रतिवादी की तरफ से प्रस्तुत श्री एस.एस. चौहान, सहायक आयुक्त(स्था.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने कहा कि शिकायतकर्ता श्री अमित कुमार सिंह ने अपने स्थानांतरण के समय लखनऊ एवं उत्तर पूर्व के विकल्प के साथ आवेदन दिया था जिसके तहत उनका स्थानांतरण बरपेटा, असम कर दिया गया। स्थानांतरण से संबंधित शिकायतक़र्ता का प्रकरण केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में भी विचाराधीन है।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रतिवादी की तरफ से सूचित किया गया है कि दिनांक 27.04.2017 को केन्द्रीय विद्यालय मुख्यालय में शिकायतकर्ता को विशेष रूप से सुनने हेतु बुलाया गया है, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकें ।

11. मामले को इस सलाह के साथ बन्द किया जाता है कि मामले में निःशक्त व्यक्ति(समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के किसी प्रावधान का कोई उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है तथापि केन्द्रीय विद्यालय प्रबंधन को दिव्यांग कर्मचारियों/अधिकारियों के मामलों में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहत प्रशासनिक बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार–विमर्श करना चाहिए ताकि वे अवसाद एवं रूढ़िवादिता के शिकार न हों ।

(डा. कमलेश कुमार पाण्डेय)
मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन